Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Office of Consumer Grievance Redressal Forum
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar , Almora -263601
E-mail – cgrfalmora @gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
कार्यालय उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर
स्यालीधार अल्मोड़ा –263601

पंत्राक – 433/उ0शि0नि0मं0/अल्मोड़ा दिंनाक –21.03.2024

प्रेषित श्री महेन्द्र कुमार
वरिष्ठ विधि अधिकारी
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरेपोरेशन लिमिटेड
विक्टोरिया क्रास विजेता , गब्बर सिंह ऊर्जा भवन
कांवली रोड , देहरादून –248001
ई –मेल – webadmin@upcl .org एंव cgrf9ocupcl@gmail.com

विषय :– मा0 विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंचो द्वारा प्रतिमाह पारित आदेशों के सम्बन्ध में ।

उपरोक्त विषयक आपके पंत्राक 1438/MK/म0प्र0(विधिक) एंव क0स0/उपाकालि / दिंनाक 05.10.2023 के अनुपालन में विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच अल्मोड़ा में निम्नलिखित लम्बित प्रकरणों में पारित अन्तिम आदेशों की PDF फाइल आपके द्वारा पत्र में उल्लेखित ई –मेल webadmin@upcl.orgएंव cgrf9ocupcl@gmail.com पर आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराई जा रही है ।

कृपया उपरोक्त का संज्ञान लें ।

संलग्न – निम्न वादों में पारित अन्तिम आदेशों की प्रतिलिपि ।

वाद संख्या – (कैम्प पिथौरागढ़) – CG11/2023-24, CG32/2023-24, CG33/2023-24 CG35/2023-24 , CG37/2023-24

कुल–05

(चामू सिंह गस्याल)
न्यायिक सदस्य

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर
स्यालीधार, अल्मोड़ा – 263601
कैम्प कार्यालय–पिथौरागढ़
ई–मेल – cgrfalmora@gmail.com

उपस्थिति

1–चामू सिंह गस्याल, सदस्य न्यायिक
2–ओ0पी0 दीक्षित, सदस्य तकनीकी
3–पुष्कर सिंह रावत, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या – 11/2023–24

श्री बसंत कुमार एवं समस्त ग्रामवासी
ग्राम जाख–कलौटा
जिला चम्पावत्। — परिवादी

बनाम्

अधिशासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड
चम्पावत — विपक्षी

निर्णय

1. वादीगण ने अपनी शिकायत में बताया है कि उनके गांव में वोल्टेज की समस्या है, कई जगह पोल टेढ़े मेढ़े हैं तथा तार पेड़ों में फंसे हुए हैं। उन्होंने इन समस्याओं के समाधान के लिये अनुरोध किया है। प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 260 दिनांक 18.09.2023 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड चम्पावत को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2. मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 13.10.2023, 03.11.2023, 29.11.2023 में वादीगण की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। मंच की सुनवाई तिथि 20.01.2024 में वादीगण की तरफ से श्री बसंत कुमार से उनके दूरभाष संख्या 9105229648 पर वार्ता की गई। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री संदीप जोशी डीएआर ने बताया कि वादीगण की समस्या के समाधान के लिये अक्टूबर 2023 में अनुमानक तैयार कर उच्च अधिकारियों के अनुमोदन हेतु भेजा गया है तथा जैसे ही अनुमोदन प्राप्त होगा, उपरोक्त कार्य शीघ्र कर दिया जाएगा।

3. मंच की अंतिम सुनवाई, दिनांक 22.02.2024 को वादीगण के अनुरोध पर उपखण्ड अधिकारी चम्पावत के कार्यालय में की गई। वादीगण की तरफ से उपस्थित श्री बसंत कुमार ने बताया कि उनके गांव में वोल्टेज की समस्या का सामाधान हो गया है परंतु पेड़ों की छंटाई तथा टेढ़े पोलों को बदलने का कार्य होना है। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री संदीप जोशी डीएआर ने बताया कि कि उपरोक्त कार्य के लिये भेजा गया अनुमानक प्रस्ताव का अनुमोदन प्रतीक्षित है और जैसे ही अनुमोदन प्राप्त होगा, उपरोक्त बचा हुआ कार्य एक महीने में कर दिया जाएगा।

आदेश

विभाग को निर्देशित किया जाता है कि 15 दिनों के अंदर पेड़ों की कटाई छंटाई का कार्य कर दिया जाए। अधिशासी अभियंता चम्पावत को यह निर्देशित किया जाता है कि अनुमानक के अनुमोदन के लिये व्यक्तिगत तौर पर प्रयास कर अनुमोदन प्राप्त करें। अनुमोदन के पश्चात एक माह के अंदर उपरोक्त बचा हुआ कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – **22.02.2024**

पुष्कर सिंह रावत
सदस्य उपभोक्ता

ओ0पी0 दीक्षित
सदस्य तकनीकी

चामू सिंह गर्ब्याल
सदस्य न्यायिक

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर
स्यालीधार, अल्मोड़ा – 263601
कैम्प कार्यालय–पिथौरागढ़
ई–मेल – cgrfalmora@gmail.com

उपस्थिति

1–चामू सिंह गस्याल, सदस्य न्यायिक
2–ओ0पी0 दीक्षित, सदस्य तकनीकी
3–पुष्कर सिंह रावत, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या – 32/2023–24

श्री लक्ष्मण राम
ग्राम मल्ला मेसकोट
पोस्ट मल्ला मेसकोट
जिला पिथौरागढ़।

परिवादी

बनाम्

अधिशासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड
धारचूला

विपक्षी

निर्णय

1. वादी ने अपनी शिकायत में बताया है कि उनके संयोजन संख्या डीएच 2 एन 201023632 के सापेक्ष कुछ समय से उपयोग से अधिक बिल आ रहा है और मीटर रीडिंग के बिना ही बिल देते हैं। उन्होंने मीटर रीडिंग जांच करवाकर समस्या का समाधान करने का अनुरोध किया है। प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 369 दिनांक 28.12.2023 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड धारचूला को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2. मंच की अंतिम सुनवाई आज दिनांक 20.03.2024 को मंच के प्रस्तावित शिविर डीडीहाट में की गई। वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से श्री मनोज सामंत ओएस उपस्थित हुए। वादी से उनके द्वारा दिये गए दूरभाष संख्या 7017395014 पर संपर्क किया गया। उन्होंने बताया कि वह आज किसी आवश्यक कार्य से देहरादून आए हुए हैं और सुनवाई में आने में असमर्थ हैं।

3. वादी के संयोजन की बिलिंग हिस्ट्री देखने के पश्चात प्रतीत हुआ कि दिसंबर 2023 (14.12.2023) बिलिंग यूनिट 1074 दर्शाई गई है जबकि इससे पहले प्रति बिलिंग साइकिल में लगभग 20–33 यूनिट विद्युत उपभोग प्रदर्शित हो रहा है। विभाग ने बताया कि वादी के परिसर में चैक मीटर लगाया गया था जिसकी तुलना करने पर मेन मीटर सही पाया गया। इससे स्पष्ट है कि यह प्रकरण डम्प रीडिंग से संबंधित है।

आदेश

विभाग को निर्देशित किया जाता है कि डम्प रीडिंग को संबंधित अवधि में, वितरित कर तथा तत्कालीन टैरीफ स्लैब का लाभ देते हुए 10 दिन के अंदर वादी को संशोधित बिल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। तत्पश्चात वादी द्वारा संशोधित बिल प्राप्ति के 15 दिन के अंदर बिल जमा कराया जाए।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

20/3/2024

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 20.03.2024

पुष्कर सिंह रावत सदस्य उपभोक्ता	ओ0पी0 दीक्षित सदस्य तकनीकी	चामू सिंह गस्याल सदस्य न्यायिक

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर
स्यालीधार, अल्मोड़ा – 263601
कैम्प कार्यालय–पिथौरागढ़
ई–मेल – **cgrfalmora@gmail.com**

उपस्थिति

1–चामू सिंह गस्याल, सदस्य न्यायिक
2–ओ0पी0 दीक्षित, सदस्य तकनीकी
3–पुष्कर सिंह रावत, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या – 33 / 2023–24

श्री दिवाकर प्रसाद
पुत्र श्री हीराबल्लभ
निवासी ढुंगखानी
जिला पिथौरागढ़। — परिवादी

बनाम्

अधिशासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड
पिथौरगढ़ — विपक्षी

निर्णय

1. वादी ने अपनी शिकायत में बताया है कि उनके संयोजन संख्या पीटी 11105033929 के सापेक्ष कुछ समय से उपभोग से अधिक बिल आ रहा है। उन्होंने बिल को ठीक करवाने का अनुरोध किया है। प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 374 दिनांक 15.01.2024 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड पिथौरगढ़ को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2. मंच की अंतिम सुनवाई तिथि दिनांक 21.03.2024 में वादी की तरफ से उनके पिता श्री हीराबल्लभ उपस्थित हुए। विभाग की तरफ से उपस्थित सुश्री दीक्षा पांडे सहायक अभियंता राजस्व ने बताया कि वादी के परिसर में दिनांक 29.01.2024 से दिनांक 08.02.2024 तक चैक मीटर लगाया गया था जिसकी तुलना करने पर मेन मीटर सही पाया गया। वादी के संयोजन की बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार बाई मंथली बिलिंग में उनका विद्युत उपभोग लगभग 300–400 यूनिट आता रहा है और सिर्फ एक बिलिंग साइकिल, जनवरी 2024 में विद्युत उपभोग 611 यूनिट आया है जिसका कारण उन महीनों में विद्युत का अधिक उपभोग होना हो सकता है। वादी को बताया गया कि विगत में विभाग द्वारा रीडिंग आधारित सही बिल निर्गत हो रहे हैं जिसे वादी ने भी स्वीकार किया है।

आदेश

विभाग द्वारा चैक मीटर से मेन मीटर की सत्यता की जांच किये जाने के पश्चात तथा वादी का बिल रीडिंग आधारित निर्गत किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 21.03.2024

पुष्कर सिंह रावत **सदस्य उपभोक्ता**	21/3/2024 **ओ0पी0 दीक्षित** **सदस्य तकनीकी**	**चामू सिंह गस्याल** **सदस्य न्यायिक**

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर
स्यालीधार, अल्मोड़ा – 263601
कैम्प कार्यालय–पिथौरागढ़
ई–मेल – cgrfalmora@gmail.com

उपस्थिति

1–चामू सिंह गस्याल, सदस्य न्यायिक
2–ओ0पी0 दीक्षित, सदस्य तकनीकी
3–पुष्कर सिंह रावत, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या – 35/2023–24

श्री बंशीधर द्विवेदी
ग्राम बमनगांव
तहसील, तेजम्
पिथौरागढ़। — परिवादी

बनाम्

अधिशासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड
धारचूला — विपक्षी

निर्णय

1. वादी ने अपनी शिकायत में बताया है कि उनके संयोजन संख्या डीएच 1 एन 102163547 के सापेक्ष कुछ समय से उपयोग से अधिक बिल आ रहा है और मीटर में भी कुछ अंक प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। उन्हांने मीटर रीडिंग जांच करवाकर समस्या का समाधान करने का अनुरोध किया है। प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 401 दिनांक 30.01.2024 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड धारचूला को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2. मंच की अंतिम सुनवाई आज दिनांक 20.03.2024 को मंच के प्रस्तावित शिविर डीडीहाट में की गई। वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से श्री मनोज सामंत ओएस उपस्थित हुए। वादी से उनके द्वारा दिये गए दूरभाष संख्या 7817851175 पर संपर्क किया गया। फोन पर वादी के बेटे श्री दीप ने बताया कि उनके दादा जी यानी वादी के पिताजी की मृत्यू हो गई है तथा वह स्थानीय रीति रिवाजों के अनुसार कुछ दिनों के लिये घर से बाहर जाने में असमर्थ हैं। विभाग की तरफ से बताया गया कि विगत में वादी को रीडिंग आधारित बिल निर्गत किये गए हैं तथा वादी के मीटर की जांच में रीडिंग भी सही पाई गई है।

3. वादी के संयोजन की बिलिंग हिस्ट्री देखने के पश्चात प्रतीत हुआ कि जनवरी 2024 की बिलिंग साइकिल में (13.01.2024) बिलिंग यूनिट 670 दर्शाई गई है जबकि इससे पहले प्रति बिलिंग साइकिल में लगभग 50 यूनिट विद्युत उपभोग प्रदर्शित हो रहा है। इससे स्पष्ट है कि यह प्रकरण डम्प रीडिंग से संबंधित है।

आदेश

विभाग को निर्देशित किया जाता है कि डम्प रीडिंग को संबंधित अवधि में, वितरित कर तथा तत्कालीन टैरीफ स्लैब का लाभ देते हुए 10 दिन के अंदर वादी को संशोधित बिल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। तत्पश्चात वादी द्वारा संशोधित बिल प्राप्ति के 15 दिन के अंदर बिल जमा कराया जाए।
उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

20/3/2024

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 20.03.2024

पुष्कर सिंह रावत सदस्य उपभोक्ता	ओ0पी0 दीक्षित सदस्य तकनीकी	चामू सिंह गस्याल सदस्य न्यायिक

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर
स्यालीधार, अल्मोड़ा – 263601
कैम्प कार्यालय–पिथौरागढ़
ई–मेल – **cgrfalmora@gmail.com**

उपस्थिति

1–चामू सिंह गस्याल, सदस्य न्यायिक
2–ओ0पी0 दीक्षित, सदस्य तकनीकी
3–पुष्कर सिंह रावत, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या – 37 / 2023–24

श्री राम सिंह मेहरा
निवासी आंगन रिजॉर्ट
उडियारी बैंड, बेरीनाग
जिला पिथौरागढ़। परिवादी

बनाम्

अधिशासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड
पिथौरागढ़ विपक्षी

निर्णय

1. वादी ने अपनी शिकायत में बताया है कि उनके परिसर के आसपास लाइनों के पास पेड़ों की टहनियों की वजह से बिजली आपूर्ति बाधित रहती है। उन्होंने इन पेड़ों की छटाई के लिये अनुरोध किया है। प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 412 दिनांक 22.02.2024 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड पिथौरागढ़ को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2. मंच की आज हुई सुनवाई में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से उपस्थित अधिशासी अभियंता पिथौरगढ़ श्री नितिन गर्ब्याल ने बताया कि वादी के परिसर के समीप एलटी लाइनो को छू रही पेड़ों की टहनियों की दिनांक 01.03.2024 को लॉपिंग चॉपिंग कर दी गई है तथा इस संबंध में वादी द्वारा संतुष्टि पत्र दे दिया गया है।

आदेश

विभाग द्वारा समस्या का निराकरण तथा वादी द्वारा उस पर संतुष्टि व्यक्त करने के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 21.03.2024

पुष्कर सिंह रावत
सदस्य उपभोक्ता

ओ0पी0 दीक्षित
सदस्य तकनीकी

चामू सिंह गस्याल
सदस्य न्यायिक